(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 171–दो/ 1986 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–02–1986 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना – प्रकरण 16/1984–85 निगरानी

देवी दयाल पुत्र रामलाल नाई
निवासी कस्वा भिण्ड
तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

जगदीश उर्फ जगदम्बा प्रसाद
पुत्र बैजनाथ ब्राहमण निवासी
माधौगंज हाट तहसील भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थि–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण 16/1984–85 निगरानी में पारित आदेश दि. 5–2–86 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत कर भिण्ड स्थित भूमि सर्वे नंबर 3849 रकबा 1 वीघा 1 विसवा पर कब्जा अंकित करने का निवेदन किया। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 5/1974-75 अ 6 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 2-3-1974 से कब्जा अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 103/76-77 दर्ज होने पर आदेश दिनांक 7-12-1981 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-3-1974 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुर्नजांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 15/1983-84 में पारित आदेश दिनांक 10-12-1984 से ग्राह्यता के आधार पर खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 16/1984-85 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी,1986 से तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा तहसीलदार का आदेश दि0 7-3-1974, अनुविभागीय अधिकारी,

भिण्ड के आदेश दिनांक 7-12-1981 , कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 10-12-1984 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 04 फरवरी,1986 के अवलोकन पर स्थिति यह है तहसीलदार भिण्ड के समक्ष कब्जा इन्द्राज करने का आवेदन आवेदक व्दारा दिया गया है इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि खसरे में कब्जा प्रविष्टि का आवेदन है तब खसरे के खाना नंबर 12 में प्रविष्टि होगी और यदि कब्जा अनुबंध के आधार पर प्रविष्टि की मांग है तब उपकृषक के खाने में प्रविष्टि की जायेगी । इसलिये उन्होंने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का आधार यह है कि तहसीलदार व्दारा 7-3-14 को आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष तीन वर्ष वाद अपील की गई है अपील में लगे विलम्ब को क्षमा करने हेतु आवेदन भी नहीं दिया गया है, जबकि नियम यह है कि सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु पर प्रकरण विचारित होगा, तत्पश्चात् गुणदोष पर विचार किया जायेगा, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने की त्रृटि की गई। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के अंतरिम आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई , जो ग्राह्यता के स्तर पर अमान्य की गई, जबकि तत्समय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर निगरानी सुनने हेतु सक्षम थे। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 16/1984-85 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी,1986 से निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को

हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/1984-85 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी,1986 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर